

लोक अदालत के समक्ष
स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादी:-कन्हैयालाल पुत्र बजरंग लाल जाति मीणा निवासी सारू का बास
तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी:- नायब तहसीलदार. टोडारायसिंह जिला टोंक

न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर टोंक की कार्यवाही संख्या:-164/2016

उपस्थित:-श्री शिवराज चांगल, अभि0 अपीलाण्ट/ श्री जुगनू शर्मा राजकीय अधिवक्ता
रेस्पो0

अध्यक्ष का नाम :- श्री लोकेश कुमार गौतम, अति0 जिला कलेक्टर, टोंक
सदस्य :- 1. अधिवक्ता श्री कैलाश माली

निर्णय

दिनांक 18.05.2017

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए है और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता है:-

अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि ख0नं0 834 रकबा 0.25 हे0 के बारे में रिपोर्ट पटवारी हल्का लक्ष्मीपुरा प्रस्तुत की है जिसके अनुसार ग्राम खेडूल्याकंला पटवार मण्डल लक्ष्मीपुरा के ख0नं0 834 रकबा 0.25 हे0 पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण था को मौके पर से वास्तविक रूप से बेदखल किया गया एवं शास्ति भी वसूल की जा चुकी है। अतिक्रमित भूमि ख0नं0 839 रकबा 0.25 हे0 पर पक्का निर्माण नहीं होने, कब्जा छोडने व भविष्य में राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र नायब तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त पर लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर नायब तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2016 से अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। साथ ही नायब तहसीलदार टोडारायसिंह को निर्देशित किया जाता है .कि यदि अपीलाण्ट पुनः अतिक्रमण करता है या पूर्व में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया हुआ है तो अतिक्रमी के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 182 की कार्यवाही अमल में लायी जावे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

याची/वादी/परिवादी
अभिभाषक

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
राजकीय पेरोकार



सदस्य
अधिवक्ता

अध्यक्ष
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक।